

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1975/अग्राहायण 5, 1897

No. 229] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 1975/AGRAHAYANA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th November 1975

No. DRAWBACK/PN-87/75.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 5501 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-Sl.No.	Description of goods	Rate of drawback
5502	Public Address equipment, namely, Micro-phone, amplifier, speaker, horn unit combination and driver unit.	7.5% (Seven point five per cent only) of the export f.o.b. value.

This Public Notice shall be deemed to have come into effect from the 1st day of November, 1975.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

सं० प्रतिअदायगी / पी० एन०-87 / 75 —सोया शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी / पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 5501 और त-संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उप-क्रमांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायंगी, अर्थात् :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
5502	लोक सम्बोधन उपकरण, (पब्लिक एड्रेस इक्विपमेन्ट) अर्थात् माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर, हार्न यूनिट कम्यूनेशन और ट्रांसमिटर युनिट ।	पोतपर्यन्त नि शुल्क निर्यात मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव भाग प्रतिशत)

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1975 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जायगी ।

उक्त माल के बारे में अलग-अलग निर्माता / निर्यातकर्ता के लिये निर्धारित सभी प्राप्ति दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने से निष्प्रभावी हो जायगी ।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव ।